न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या :— 12/2023

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

1. दलपतसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी कालीजाल तहसील लूणी, जिला जोधपुर

1. मगसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जी जाति राजपुत
2. नारासिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जी जाति राजपुत निवासी कालीजाल तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।
3. ग्राम पंचायत कालीजाल जरिये सरपंच

— — —

नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 जो कि ग्राम पंचायत कालीजाल द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति : —

1. अपीलान्ट की और से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित
2. रेस्पोडेन्ट्स की और से कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक :— 21-07-2025

— :: निर्णय :: —

अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 की पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की सह खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भमि खेत खसरा नंबर 65 रकबा 126 बीघा 06 बिस्वा खसरा नंबर 149 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वरा, खसरा नंबर 418 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 420 रकबा 14 बीघा, खसरा नंबर 423 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 424 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा एंव खसरा नंबर 425 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम कालीजाल पटवार क्षेत्र कालीजाल वर्तमान शक्तिनगर तहसील लूणी मे आई हुई थी। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स आपस में सगे भाई है। उक्त भूमि आज दिन अविभाजित तथा मौके पर सामलाती रूप से काश्त की जा रही है। उक्त भूमि का कभी भी किसी भी रूप मे विभाजन नही हुआ है। परन्तु राजस्व रेकार्ड मे उपरोक्त भूमि अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट के नाम से अलग अलग खाते मे दर्ज कर दी गई, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को हाल ही में हल्का पटवारी से विभाजन करवाने हेतू जमाबन्दी लेने पर उक्त भूमि अलग अलग खातो मे दर्ज होना पाया। उक्त अमल दरामद तथाकथित गलत रूप से अपीलाधीन म्यूटेशन तथाकथित बंटवाडा के आधार पर होना बताया जबकि ऐसा कोई बंटवाडा खातेदारान द्वारा नहीं किया गया। अपीलाधीन म्यूटेशन तथाकथित बंटवाडा जो कि नायब तहसीलदार के तथाकथित आदेश के आधार पर स्वीकृत करना बताया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जबकि ऐसा कोई आदेश का हवाला म्यूटेशन परत पर नहीं है और न ही ऐसा कोई बंटवाडा अपीलान्ट द्वारा किया गया। इस कारण तथाकथित अपीलाधीन म्यूटेशन गलत एंव शुन्य श्रेणी का म्यूटेशन है जिसे निरस्त किया जाना कानूनी लाजमी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 164 दिनांक 22.04.1977 ग्राम पंचायत कालीजाल निरस्त फरमाया जाकर म्यूटेशन से पूर्व ही स्थिति बहाल कर दर्ज भूमि को एक ही खाते मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि नामान्तकरण अपील अन्तर्गत विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 में म्युटेशन गलत रूप से ग्राम पंचायत ने दर्ज एवं स्वीकृत कर दिया तथा भूमि को अलग अलग खातों में विभाजित कर दिया है जबकि ऐसा कोई विभाजन खातेदार के मध्य नहीं हुआ है। उक्त म्युटेशन संख्या 164 दिनांक 22.04.77 पूर्ण रूप से गलत है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 को अपास्त कर म्यूटेशन दर्ज भूमि का पुनः पूर्व की स्थिति में किये जाने हेतु पुर्ण सहमति दी गई। पत्रावली में तहसीलदार झंवर को मूल नामान्तरण एवं नामान्तरकण की जांच मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 को निरस्त करने हेतु पेश की जिसकी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी पूर्ण सहमति दी गई। पक्षकारान् द्वारा हल्का पटवारी की मौका फर्द पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 18.07.2024 के अनुसार ग्राम कालीजाल के नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 के जरिये अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स दलपतसिंह, मगसिंह एवं नारायणसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी कालीजाल के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ है। बंटवाड़े के बाद आज तक किसी प्रकार का बेचान या हस्तान्तकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में तीनों खातेदार कब्जा काश्त अनुसार पुनः विभाजन करवाना चाहते है। मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77 जो कि ग्राम पंचायत कालीजाल द्वारा भरा गया, का अमल दरामद अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवाड़े के परिणाम स्वरूप हुआ है। उपरोक्त आधार पर पूर्ण रूप से सही एवं आपसी सहमति से हुए बंटवाड़े के आधार पर भरे गये नामान्तकरण को बिना कोई ठोस कारण के निरस्त किया जाना कानुनन उचित नहीं है। अपीलान्ट की अपील न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 22.04.77, को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय आज दिनांक 21-7-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज कासोटिया RAS)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी